न्यूज गैलरी

तालाब में मिला नवजात बच्चे का शव

बालोद (नवप्रदेश)। जिले में सात दिन में दो नवजात शिशु की लाश सामने आई ज़िले के गुरुर थाना अंतर्गत ग्राम आरमरीकला के चंडीमंदिर स्थित देव तालाब में स्थानीय लोगों ने सुबह एक नवजात शिशु का भ्रूण को तैरते हुवे देखा। लोगों ने घटना की जानकारी गुरुर थाना को दी।सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को अपने कब्जे में लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दे कि ग्रामीण निस्तारी के लिए गए हुवे थे तब नवजात बच्चे के शव पानी मे तैर रहा था।जिसकी जानकारी ग्रामीणो ने गुरुर पुलिस को दी ।पुलिस के आते तक तालाब किनारे शव को देखने के लिए हजारो की संख्या में लोगो की भीड़ इकट्ठी हो गयी थी।इस मामले पर गुरुर थाना प्रभारी हेमन्त चन्द्राकर ने कहा कि हम इस मामले पर पूछताछ के कार्य प्रारंभ कर दिया है साथ ही तेजी के साथ जांच में जुट गए है।

शो-पीस बना वाटर एटीएम, अब तक नहीं हुआ शरू

बालोद (नवप्रदेश)। नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत शहीद वीर नारायण सिंह नया बस स्टेण्ड में वाटर एटीएम अब तक प्रारभ नही हो पाई।यहां पर केवल शो पीस के रूप में एटीएम का ढाचा ही तैयार किया गया हैं ।नया बस स्टेण्ड के टेक्सी स्टेण्ड व् नवनिर्मित भवन के सामने एटीएम लगाया गया हैं जो एक माह से अधिक समय हो गया हैं ।लेकिन अभी तक केवल ढाचा ही बनाकर तैयार किया गया हैं । जिसका उदेश्य लोगो को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना हैं ।लेकिन लाखो रुपए खर्च होने के बाद भी भीषण गर्मी के मौसम में नया बस स्टेण्ड में वाटर एटीएम प्रारभ नही हो पाया हैं । इसके चलते लोगो को गर्मी में स्वच्छ व् ठंडा पेयजल उपलब्ध नही हो पा रहा हैं । नगरीय क्षेत्र में आम लोग विशेष रूप से राहगीरों व् यात्रियों को शुध्द पेयजल आसानी से उप्लब्ध हो सके इस बात को धयान में रखते हुए शासन की योजना के तहत शहर के दो प्रमुख स्थानों में वाटर एटीएम लगाया गया हैं ।वहीँ जय स्तभ चौक के पास वाटर एटीएम प्रारभ कर दिया गया हैं। लेकिन नया बस स्टेण्ड में वाटर एटीएम प्रारभ नही हुआ हैं ।

आकार के समापन में नन्ही सिया ने नृत्य से किया प्रभावित

कुरुद (नवप्रदेश)। मिलावट की दुनिया में शास्त्रीय गीत-संगीत व नृत्य आज भी उतना ही खरा है जितना सदियों पहले था। शास्त्रीय नृत्य सिर्फआत्मा या आंखों को ही सुख नहीं देता अपितु आज की तारीख में यह एक शानदार कॅरियर क्षेत्र बनकर भी उभरा है। यहीं कारण है कि जिसके प्रति हर उम्र के लोगो मे इसके प्रति अच्छा लगाव दिखाई दे रहा है जिसका प्रोत्साहन भी समाज से मिल रहा है। नगर स्थित शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय कुरूद मे केबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर के मार्गदर्शन मे विगत दिनों संस्कृति विभाग,वंदेमातरम परिवार, सद्भावना फाउंडेशन,फ्रैण्डस् क्लब कुरूद के संयुक्त आयोजन मे आकार 2018 का दस दिनी आयोजन किया गया था।

निधन
खेदुराम देवांगन

नंदिनी-अहिवारा (नवप्रदेश)।

ग्राम गिरहोला वार्ड क्रं. 01 के खेदुराम देवांगन का निधन 11 मई को होगया।उनका अंतिम संस्कार 12 को हुआ। वे संतोष देवांगन, भुपेन्द्र देवांगन ओमकारेश्वर देवांगन के पिता जी थे।

महानदी में रेत का अवैध खनन कर दूसरे जिलों में खपा रहे ठेकेदार

कृष्णा मेश्राम

नवापारा राजिम (नवप्रदेश)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने पर्यावरण को देखते हुए नदी घाटों से रेत उत्खनन को लेकर क्लियर गाइड लाइन निर्धारित की है ।इसके बावजूद गोबरा नवापारा के अंतर्गत आने वाले पारागांव लखना कोलियरी चंपारण व रायपुर जिले के साथ साथ गरियाबंद धमतरी जिले में महानदी में अवैध रेत खनन का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। नदी में इन दिनों पानी भी है बावजूद इसके बड़ी-बड़ी मशीनों को नदी में पानी तक ले जाकर रेत माफिया द्वारा रेत परिवहन किया जा रहा है ।पारागांव लखना कोलियरी बकली से निकाली गई रेत इन दिनों बिलासपुर व् दुर्ग रायपुर जिले के बेमेतरा कवर्धा मुंगेली से लेकर अन्य जगहों पर खुलेआम बेची जा रही है ।वही दर्जनों शिकायतों के बाद भी खनिज विभाग द्वारा मामले में केवल लीपापोती कर औपचारिक कार्रवाई करते हुए रेत माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है ।क्यू की इनके पास समय समय पर मिठाई पहुँच जाती है ।

क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी महानदी में बीते दो-तीन सालों से हो रहे रेत के अवैध उत्खनन से नदी अब दम तोड़ने लगी है। स्थानीय खनिज विभाग के जिम्मेदार अधिकारी और सत्ता पक्ष रसूखदार नेताओं की मिलीभगत से चल रहे रेत के खेल दर्जनभर से अधिक स्थानों पर महानदी के अस्तित्व को ही संकट में डाल दिया है ।महज दशक भर पूर्व ग्रीष्मकाल में भी कल कल बहने वाली महानदी बीते दो-तीन साल में अप्रैल माह तक सूखने लगी है। एनजीटी के निर्देशों का उल्लंघन कर मनमाने तरीके से रेत निकाले जाने से नदी की धार कई स्थानों पर टूटने लगी है ।इससे महानदी का प्राकृतिक व पारिस्थितिकीय तंत्र नष्ट हो गया है ।सदा नीर व् जलमग्न रहने वाली महानदी के कई ग्रामो में इन दिनों मवेसियो के पिने लायक भी पानी नही बचा है।जिले में बड़े पैमाने पर रेत का अवैध रूप से उत्खनन तथा कालाबाजारी की जा रही है। इसे रोकने में प्रशासन तथा विभाग पूरी तरह से फेल है। खनिज विभाग द्वारा रेत की कालाबाजारी रोकने के लिए ध्यान नहीं दिए जाने से रेत माफीयाओं के हौसले बुलंद है। इसकी वजह से जिले के नदी घाट में इन दिनों रेत की जमकर काला बाजार की जा रही है।

इस पूरे विषय में नवप्रदेश के संवाददाता ने रायपुर जिले के माइनिंग इंस्पेक्टर महिपाल सिंह कंवर से बात करने की कोशिश की तो उनके फोन पर घंटी जाती रही करीब चार बार फोन करने के बाद पूरी घण्टी जाती रही मगर उन्होंने फोन रिसीव करना उचित नहीं समझा।

एसपी रजनेश धमतरी से बात करने पर उन्होंने कहा की आपके द्वारा जानकारी मिल रही है , किसी भी शासकीय नौकरी में रहते हुए कोई भी कर्मचारी प्राइवेट काम नहीं कर सकता है। अगर वो कर रहा है तो गलत है कल ही कोतवाली में नोटिस भिजवा कर इस मामले की जानकारी लेता हूं, जो भी व्यक्ति गलत होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

नियमों की परवाह नहीं

रेत के परिवहन के लिए स्पष्ट नियम है कि रेत का परिवहन ढककर होना चाहिए। इससे परिवहन के दौरान रेत उड़कर राह चलते लोगों को कोई नुकसान न हो कई बार इसी के चलते खरतनाक एक्सीडेंट भी हो चूका है साथ ही यह् ध्यान देना चाहिए की पर्यवरण को भी कोई नुकसान न हो लेकिन रायपुर राजिम मुख्य मार्ग में इस नियम की प्रतिदिन धज्जियां उड़ाई जा रही है ।महानदी के घाटों से प्रतिदिन खुलेआम गैरकानूनी तरीके से रेत निकाल कर बेची जा रही है । एक ही पिटपास पर बगैर चेक किए कई बार रेत भरे वाहन पुलिस थानों तथा पुलिस चौकी के सामने से अवैध रूप टेक्टर ट्राली में भरकर नावपारा राजिम अभनपुर होते हुवे ।बड़े शहरो को भेजा जा रहा हैं।लेकिन खनिज विभाग की तरह पुलिस विभाग भी किसी भी वाहन के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है और करती भी है तो लेंन देंन करके केस रफा दफा कर दिया जाता है।इसके पीछे अधिकांश रेत माफिया का राजनितिक पकड़ के चलते उन पर प्रशासन् भी कार्यवाही से बचते है।

सरकारी व्यक्ति का रेतघाट

यह बात आपको सुनकर हैरान कर देगा कि छत्तीसगढ़ सरकार के अंतर्गत आने वाले सबसे अहम विभाग में कार्यरत एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा जोकि धमतरी के सिटी कोतवाली में पदस्थ है ।मगर कुछ दिनों पहले उसने 3 महीने का छुट्टी लेकर बकली ग्राम में रेत के खनन जैसे अवैध खेल को अंजाम दे रहा है। पृथक से आपको बताना चाहेंगे कि इस रेत घाट मालिक के पास ना तो पिट पास है और ना ही विभाग द्वारा मशीन चलाने की अनुमति प्राप्त है ।मगर फिर भी यह पर्यावरण और एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए आज पर्यंत तक महानदी के सीने को चीरते हुए रेत की अवैध खुदाई कर रहा है ।सोचने की बात यह है कि पुलिस विभाग के इस अहम पद में बैठे रहने के बाद भी इसने 3 महीने का छुट्टी ले रखी है। और छुट्टी इसलिए ले रखा है कि घर में तबीयत खराब(मेडिकल लीव) है। करके मगर यहां बात ही कुछ और है माइनिंग विभाग द्वारा रेत खनन हेतु बहुत सारे गाइडलाइन जारी किये गए है मगर इस रेत घाट के मालिक द्वारा अपने पद का रौब दिखाते हुवे इसे दरकिनार कर दिया गया है ।नियम यह कहता हैं अपने जिस जगह से रेत खुदाई का परमिशन लिया हैं।आपको रेत भी उसी सिमा क्षेत्र से निकालने है ।मगर यहाँ उलटी गंगा बह रही है इस महाशय ने ग्राम बकली जो की गरियाबंद जिले में आता है। इसे परिवहन भी इसी सीमा क्षेत्र से लगे रोडो से करना है ।मगर इनके द्वारा रायपुर जिले के पारागाँव लखना कोलियारी मार्ग से अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा हैं जो की नियमत: गलत हैं। कई बार ग्रामीण महिलाओ के विरोध के बाद भी ये बाज नही आ रहा है।

अनुमति से कई गुना अधिक हो रहा है रेत उत्खनन

जानकारी के अनुसार अंचल के प्रमुख घाटो पारागांव नवागाँव कोलियरी चंपारण बकली आदि नदी घाटों में रेत निकाले जाने की अनुमति दी गई है ।नियमानुसार खनिज विभाग द्वारा जिस स्थान पर जितने घन मीटर उत्खनन की अनुमति दी गई है। उससे अधिक उत्खनन नही किया जाना चाहिए। लेकिन अधिकांश स्थानों पर निर्धारित स्थान से कई गुना अधिक स्थान पर उत्खनन किया जाता रहा है। रेत घाटो से संबंधित एनजीटी की कई गाइड लाइन में नदी में जिस स्थान पर नदी में पानी या धार हो या पानी भरा हो उस स्थान पर रेत का खनन नहीं किया जा सकता है। वहीइ नदी घाटो में रेट उत्खनन केवल मेनुअल यानि श्रमिको के द्वारा ही कराया जा सकता हैं। जिले की 99 फ़ीसदी रेत घाटों में नदी के अंदर रैंप बनाकर पोकलेन जे सी बी तथा अन्य हैवी मशीनों के माध्यम से रेत उत्खनन कराया जा रहा है। इन घाटों पर यदि प्रशासन कारवाई करने जाए तो दूर होने की वजह से आसपास के ग्रामों से रेत माफियाओं को पहले ही खबर लग जाती है। जिले के सभी घाटों से कुल मिलाकर प्रतिदिन 800से अधिक हाईवा वाहन से रेत की कालाबाजारी की जा रही है।

तीन मांगों के लिए मितानिनों का धरना तीसरे दिन भी जारी

भाटापारा (नवप्रदेश)

प्रदेष स्वास्थ्य मितानिन संघ तथा ब्लॉक समन्वयक स्वास्थ्य पंचायत समन्वयक प्रषिक्षक हेल्थ डेक्स वेसिलेटर, मितानीन, मितानीन प्रषिक्षक के आव्हान पर अपनी तीन सूत्रीय मांग को लेकर जनपद पंचायत भाटापारा के सामने धरने पर 10 मई से बैठी है जिसमें प्रमुख रूप से है मितानीनो को दिये जाने वाले राज्य अंश की तरह ब्लाक समन्वयक ,स्वास्थ्य पंचायत समन्वयक व एरिया कार्डिनेटर ,मितानीन प्रषिक्षक, हेल्प डेस्क वेसिलेटर को भी दिया जावे ,मितानीन को 100 प्रतिशत राज्य अंष मिले, ए एन एम प्रषिक्षण प्राप्त किये मितानीन को सीधे शासन में भर्ती किया जावे । मितानीनो का कहना है कि जब से उन्होने मितानिनो का दायित्व संभाला है वे अपने दायित्वो का निर्वहन बखूबी व ईमानदारी के साथ कर रही है और उनके ईमानदारी पूर्वक किये जा रहे निर्वहन के कारण ही उनके क्षेत्र में गर्भवती माताओ की जांच समय समय पर करवाती है । उन्हे समय पर टीका करवाना उन्हें दवाई देना तथा उनको जचकी के लिये अस्पताल ले जाने के लिये प्रोत्साहित करना गर्भवती महिलाओं को समय पर दवाई एवं टीकाकरण तथा उनकी नियमित जांच का ही परिणाम है कि बच्चो की अकाल मृत्यु पर अंकुश लगा है । यही नहीं शासन की प्रत्येक योजनाओ को भी वे घर घर पहुंचाती है और आंगनबाडी में कार्यरत महिलाओं को भी उनके कार्यो में मदद करती है। अंत सभी मितानीनो ने राज्य शासन से मांग की है कि उनकी समस्याओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उनको मिलने वाला मानदेय बढाया जावे।

अस्पताल में चोरों का धावा, लाखों के मोबाइल पार

बालोद (नवप्रदेश)। जिला मुख्यालय के सबसे व्यस्तम मार्ग फव्वारा चौक में स्थित अस्पताल व्यसायिक काम्प्लेक्स में संचालित आहूजा वल्ड दुकान में अज्ञात चोरो ने लाखो रुपए के मोबाइल ले उड़े । लेकिन 24 धण्टे से अधिक समय होने के बाद भी पुलिस ने चोरो की सुराग नही ढूंड पाई हैं । चोरी का सुराग पूरा सीसी टीवी कैमरा में कैद होने के बाद भी पुलिस को मशक्कत करनी पढ़ रही हैं । ज्ञात हो की शुक्रवार की रात 1,53 मिनट में तीनो अज्ञात चोरो द्वारा फ़िल्मी अंदाज में ताला को तोड़कर फिर काच को तोड़े जो अंदर व् बहार में लगे सीसी कैमरे में रिकॉड हो रहा था । तीनो चोर की हर एक हरकत सीसी टीवी कैमरे में कैद हो रहा था ।लैकिन तीनो आरोपी मोबाइल व् धड़ी को समेटने में लगे हुए थे जिसमे मंहगे से मंहगे मोबाइल को अपने गमछे मे बाधकर तीनो आरोपी फरार हो गए थे । शहर के सबसे व्यस्तम मार्ग में स्थित मोबाइल दुकान में चोरी होना पुलिस पर सवालियां निसान उठना भी लाजिमी हैं क्योकि । पुलिस की गस्त इस चौक पर रहती हैं। इसके बाद चोरी होना गस्त वाले पुलिस की नकामी दर्शाती हैं । इन चोरो ने बकायदा लगभग एक धण्टे तक दुकान के अंदर रहकर मंहगे से मंहगे को अलग करने में लगे थे। वहीं इन चोरो का तीसरा साथी दुकान के शटर को बहार से बंद कर दिया था ।

छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की समस्याओं को लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

नंदिनी-अहिवारा (नवप्रदेश)

छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद अवस्थी जी के आदेशानुसार संघ के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य व जिलाध्यक्ष दुर्ग दाऊ संतोष ताम्रकार के नेतृत्व में माननीय श्री बलराम दास टंडन जी के नाम से दुर्ग कलेक्टर श्री उमेश अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा गया।

उक्त ज्ञापन में उल्लेखित किया गया कि छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ राज्य में पत्रकारों की सबसे बड़ी पंजीकृत संगठन है। जिन्होने पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं को लेकर लगातार अपनी मांगे शासन के समक्ष रखी है। पिछले दिनों राज्य के गृह सचिव व जनसंपर्क सचिव को संदर्भित विषयों को लेकर अवगत कराते हुए निदान का आग्रह भी किया गया है। मुख्यमंत्री डा.रमनसिंह जी ने पत्रकारों के लिए विभिन्न योजनाएं मंजूर की है। लेकिन योजनाओं का लाभ पत्रकारों को सही रूप में नहीं मिल पा रहा है। अधिकारियों का रवैया सहयोगात्मक नहीं है इसलिए मुख्यमंत्री जी तक पत्रकारों की मांग न तो पहुंच पा रही है और न ही उनसे मिलने दिया जा रहा है। पत्रकार सुरक्षा कानूम की मांग को लेकर

छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के बैनर पर राज्य के सभी विधायकों को ज्ञापन सौंपा गया था और सभी ने सहमति भी जतायी है। आपको अवगत कराना चाहेंगे कि पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर ड्राप्ट तैयार किए जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में पत्रकारों के साथ लगातार हो रही घटनाओं और कुछ अन्य लंबित समस्याओं को लेकर काफी नाराजगी है।

शासकीय जमीन पर सरपंच का अवैध कब्जा, शिकायत करने के बावजूद कार्यवाही नही

कसडोल (नवप्रदेश)

जनपद पंचायत बलौदा बाजार अंतर्गत ग्राम पंचायत परसापाली के सरपंच द्वारा अपनी दबंगई दिखाकर प्राथमिक शाला परिसर के अहाता में बीते 6 वर्षो से अवैध कब्जा जमाये हुए है लेकिन प्रशासन अभी तक सरपंच के गिरेबान तक नही पहुंच पाया है जिससे सरपंच द्वारा दिन प्रतिदिन अपनी इमारत को नई रूप दिया जा रहा है यहां प्रशासन ने जिस तरह सौतेला व्यवहार किया है वह तो दर्जनों शिकायतों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है अवैध कब्जे को लेकर शिकायतकर्ता ने बताया की प्राथमिक शाला की भूमि 471/1 क रकबा न. 0.105 हेक्टेयर स्कूल का भाग है लेकिन उक्त भूमि पर सरपंच ने मकान, बाड़ी और बिजली कनेक्शन सहित सभी क्रियाकलाप कर रहा है लेकिन प्रशासन की नजर नही पड़ रही है यहाँ शिकायत पर तहसीलदार, पटवारी और जनपद के अधिकारियों ने चक्कर तो लगाया लेकिन कार्यवाही किसी के कलम ने नही कर सका। सरपंच ने यहाँ जांच अधिकारियो को गुमराह करते हुए जो पट्टा प्रस्तुत किया उसमे खसरा नंबर 471/क रकबा 1.732 हेक्टेयर घास का भूमि का टुकड़ा रकबा 0.052 हेक्टेयर भूमि पर मकान और बड़ी निर्मित बताया गया। लेकिन शिकायतकर्ता ने उक्त पट्टे को फर्जी बताते हुए पट्टे पर पेन से 0.20 हेक्टेयर लिखा गया बताया गया। जो जांच का विषय है।

शिकायतों की लंबी फेहरिश्त

ज्ञात हो की जबसे सरपंच द्वारा अवैध कब्जा किया गया तबसे ही उनका विरोध होता आ रहा है लेकिन जिस तरह 2016 से गांव के ग्रामीणों ने सरपंच के खिलाफ प्रशासनिक अधिकारियो से अवैध कब्जा को लेकर शिकायत किया उससे सहज अंदाज लगाया जा सकता है कि यहाँ सरपंच के द्वारा की जा रही तानाशाही के खिलाफ दर्जनों आवेदन दिया गया। लेकिन यहाँ जिसने भी कार्यवाही के लिये हाथ बढ़ाया वह अंडर ग्राउंड मैंनेज होकर वापिस लौट गया है तभी तो आज भी डंके की चोट पर बेधड़क कब्जा जमाए सरपंच गांव के विकास पर बट्टा लगा रहे है और शिकायतकर्ताओं को धमकियां देते फिर रहै है कि जाओ करलो जितनी मेरी शिकायत मेरा कुछ नही होगा।

पटवारी ने शिकायत को सही माना

लंबी चौड़ी शिकायत होने पर तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी बलौदा बाजार ने कार्यवाही के लिये उप तहसील लवन को आदेशित किया था तब तत्कालीन नायब तहसीलदार ममता ठाकुर के आदेश पर पटवारी आर के पैकरा ने 15 अगस्त 2016 को मौके पर उपस्थित होकर जब शाला विकास समिति और ग्रामवासियों की शिकायत पर जांच की तो सरपंच द्वारा किया गया कब्जा अवैध माना और की गई शिकायत को सही माना। जिस पर तत्काल पटवारी ने सरपंच को पद से हटाने की अनुसंशा प्रभारी तहसीलदार लवन से की गई थी लेकिन राजनीति संरक्षण के कारण

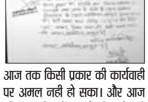

आज तक किसी प्रकार की कार्यवाही पर अमल नही हो सका। और आज भी पटवारी की कार्यवाही रद्दी की टोकरी पर पडा हुआ है।

जान से मारने की मिली धमकी

ग्राम की उपसरपंच ने जैसे ही सरपंच द्वारा किये गए अवैध कब्जा की शिकायत की तो 17 नवम्बर 2016 को दबंग सरपंच पति ने पहले तो शिकायतकर्ता को डराया धमकाया जब शिकायतकर्ता नही माना तो सरपंच ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुऐ शिकायतकर्ता के पिता को गाली-गलौच सहित जान से मारने की धमकी तक दे डाली। जिसकी लिखित शिकायत पीड़ित द्वारा जिले के पुलिस अधीक्षक को किया गया। लेकिन आज तक पुलिस ने भी किसी तरह की कार्यवाही नही की जिससे आज पूरा परिवार दंबग सरपंच से डरा हुआ है और कार्यवाही के लिये दर-दर भटक रहा है।

आन्दोलन की तैयारी

गांव के ग्रामीणों ने कहा कि दर्जनो शिकायत होने के बावजूद उचि पैठ बना चुके सरपंच पर यदि समय रहते कार्यवाही नही की गयी तो सैकडो ग्रामीण आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे जिसकी समस्त जिम्मेवारी प्रशासन की होगी।

...तो न्यायालय का करेंगे रुख

यहाँ सरपंच के तानाशाही रवैया से हर कोई पीड़ित है जिसमे मुख्य रुप से नारायण दास ने बताया की यदि हमारी शिकायत को 2 साल बीत गया है यदि कमिश्नर, कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी और तहसीलदार समय रहते कार्यवाही नही करते है तो उनके द्वारा जल्द ही न्यायालय की शरण ली जायेगी।

इनका कहना है

अवैध कब्जे की शिकायत हुई थी लेकिन मेरे द्वारा किसी प्रकार का अवैध कब्जा नही किया गया है।

सावित्री चंद्रनारायन कश्यप, सरपंच, परसापाली

सरपंच के द्वारा जो अवैध कब्जा किया गया है उसकी शिकायत शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों के अलावा गांव के लोगो द्वारा किया गया है लेकिन अभी तक किसी तरह की कार्यवाही नही की गई है।

लता ध्रुव, प्रधान पाठिका, प्राथमिक शाला परसापाली

यह मामला मेरी संज्ञान में नही था कोई भी सरपंच या पंच द्वारा अवैध अतिक्रमण करना पाया जाता है तो धारा 36 की कार्यवाही की जाती है आपके द्वारा जानकारी दी जा रही है मैं दिखवा लेता हूँ।

तीर्थराज अग्रवाल, अनुविभागीय अधिकारी, बलौदा बाजार

हमारे द्वारा 50 बार से ज्यादा शिकायत पटवारी, तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी, कलेक्टर को लिखित में किया गया और एक बार तत्कालीन कलेक्टर द्वारा धारा 40 की कार्यवाही अनुसंशित किया गया था लेकिन वो आदेश कलेक्टर साहब के बदलने के कारण कार्यवाही नही की गयी है यदि अब प्रशासन द्वारा कार्यवाही नही की गई तो जल्द ही न्यायालय का शरण लिया जाएगा।

श्रीमती कुमारी बाई, उपसरपंच, परसापाली

आपके द्वारा जानकारी दिया जा रहा है मैं प्रकरण को रिमाइंडर कराकर दिखवालेता हूँ कार्यवाही अवश्य की जाएगी। - **एस.एल.सिन्हा,** प्रभारी तहसीलदार, लवन